सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

की

निवेदन समिति

का

पंचम प्रतिवेदन

सप्तदश बिहार विधान सभा के सत्र में प्राप्त श्रम संसाधन विभाग से संबंधित निवेदन संख्या 223/21 पर प्रतिवेदन ।

(दिनांक 29.03.2022 को सदन में उपस्थापित)।

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. निवेदन समिति के सदस्यों की सूची	क
2. सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	ख
3. प्राक्कथन	ग
4. प्रतिवेदन	1–2
5. परिशिष्ट	3–5

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा का वित्तीय कार्य 2021–22 के लिए गठित निवेदन समिति के माननीय सदस्यों की सूची—

सभापति

1. श्री विनोद नारायण झा (32)	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री पन्ना लाल सिंह पटेल (150)	स०वि०स०
2. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (20)	स०वि०स०
3. श्री राहुल तिवारी (198)	स०वि०स०
4. श्री बच्चा पाण्डेय (110)	स०वि०स०
5. श्री राम विलास कामत (42)	स०वि०स०
6. श्री अजय कुमार सिंह (166)	स०वि०स०
7. ई० शशि भूषण सिंह (11)	स०वि०स०
8. श्री छोटे लाल राय (121)	स०वि०स०
9. श्री कुंदन कुमार (146)	स०वि०स०
10. श्री राजीव कुमार सिंह (164)	स०वि०स०
11. श्री श्रीकान्त यादव (113)	स०वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

1. श्री शैलेन्द्र सिंह	सचिव
2. श्री पवन कमार पाण्डेय	संयुक्त सचिव
3. श्री पवन कुमार सिन्हा	उप–सचिव
4. श्री (मो0) शमीम अहमद	अवर–सचिव
5. श्री सुधीर कुमार सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्रीमती रूशदा रहमान	प्रशाखा पदाधिकारी
7. श्रीमती प्रेरणा कुमारी	सहायक
8. श्री प्रवीण कुमार	सहायक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, निवेदन समिति, बिहार विधान सभा की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में श्रम संसाधन विभाग से संबंधित निवेदन पर निवेदन समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

निवेदन के संबंध में विचार–विमर्श तथा कार्यान्वयन मुख्य समिति के द्वारा किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से सहयोग करने के लिए समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ ।

विनोद नारायण झा,
सभापति,
निवेदन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार जायसवाल, स0 वि0 स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 223/21

बिहार स्किल डेवलपमेन्ट सेन्टर कोविड–19 के कारण पूरे बिहार में बंद है। नये सेन्टर का टेंडर हुआ लेकिन वह भी बंद है। नये सेन्टर के टीचर का ट्रेनिंग पूर्ण होने के बावजूद सेन्टर खोलने की दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं है जिसके कारण कर्मियों के सामने भूखमरी की स्थिति है ।

अतएव सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि नये एवं पुराने सभी स्किल डेवलपमेंट सेंटर को शुरू कराने के साथ कर्मियों को मानदेय भुगतान एवं किराया मद की राशि का भुगतान कराया जाय । (परिशिष्ट–1)

श्री पवन कुमार जायसवाल, स0वि0स0 से प्राप्त उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरांत प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 2700, दिनांक 18 जून, 2021 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया । (परिशिष्ट–2)

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा विषयांकित निवेदन का संबंध श्रम संसाधन विभाग से होने के कारण स्थानांतरित कर दिया गया ।

श्रम संसाधन विभाग के ज्ञापांक 490, दिनांक 28 जुलाई, 2021 (परिशिष्ट–3) के द्वारा इस प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

इस अनुपालन प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि

कोविड–19 वायरस के संक्रमण से बचाव के निर्मित बिहार सरकार के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के आदेश संख्या 294, दिनांक 13 मार्च, 2020 के द्वारा सभी कौशल प्रशिक्षण कार्य को दिनांक 13 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक स्थगित किया गया था। इसके पश्चात् कोरोना संक्रमण के प्रभाव के जारी रहने की स्थिति में बिहार सरकार से समय–समय पर प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में प्रशिक्षण कार्य को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लॉक डाउन की अवधि तक स्थगित रखा गयां ।

कोविड–19 वायरस के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण रखने हेतु आपदा प्रबंधन समूह की बैठक दिनांक 05 जुलाई, 2021 द्वारा समीक्षोपरांत गृह विभाग (विशेष), बिहार के आदेश संख्या जी/आपदा–06–02/2020–3646, दिनांक 05 जुलाई, 2021 के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के नियंत्रणाधीन सभी कौशल प्रशिक्षण संस्थानों तथा राज्य के सभी सरकारी एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को दिनांक 07 जुलाई, 2021 से दिनांक 06 अगस्त, 2021 तक के लिए प्रशिक्षुओं की 50 प्रतिशत उपस्थिति एवं कोविड अनुकूल व्यवहार और अद्यतन गानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुपालन के निदेश के साथ खोल दिया गया है।

बिहार कौशल विकास विकास मिशन के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को मार्च 2020 से दिनांक 26 मार्च, 2021 तक मानदेय भुगतान, किराया आदि का भुगतान किया गया है।

समिति का निर्णय

दिनांक 27 जनवरी, 2022 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय उत्तर प्रतिवेदन ज्ञापांक 490, दिनांक 28 जुलाई, 2021 के आलोक में निवेदन संख्या 223/2021 को कार्यान्वित मान लिया गया ।

परिशिष्ट–1

श्री पवन कमार जायसवाल, स० वि० स० से प्राप्त निवेदन संख्या 223/21

बिहार स्किल डेवलपेंट सेंटर कोविड 19 के कारण पूरे बिहार में बंद है। नये सेंटर का टेंडर हुआ लेकिन वह भी बंद है । नये सेंटर के टीचर का ट्रेनिंग पूर्ण होने के बावजूद सेंटर खोलने का कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं है जिसके कारण कर्मियों के सामने भूखमरी की स्थिति है।

अतएव मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि नये एवं पुराने सभी स्किल डेवलपमेंट सेंटर को शुरू कराने के साथ कर्मियों को मानदेय भुगतान एवं किराया मद की राशि का भुगतान कराने की कृपा की जाय ।

परिशिष्ट–2

सं० सं० 2 नि०–223/2021–2700/वि० स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,

अवर–सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,

बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 18 जून, 2021 (ई0)।

विषय – सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 223/21 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–292 (घ) के अन्तर्गत श्री पवन कुमार जायसवाल, स० वि० स० द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाय तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये ।

विश्वासभाजन,

अरविन्द कुमार मिश्र,

अवर–सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–3

माननीय श्री पवन कुमार जायसवाल, स0 वि0 स0 से प्राप्त निवेदन संख्या वि0 स0 नि0 223/2021 का उत्तर प्रतिवेदन ।

निवेदन संख्या वि0 स0 नि0–223/2021

बिहार स्किल डेवलपमेन्ट सेन्टर कोविड–19 के कारण पूरे बिहार में बंद है। नये सेन्टर का टेंडर हुआ लेकिन वह भी बंद है। नये सेन्टर के टीचर का ट्रेनिंग पूर्ण होने के बावजूद सेन्टर खोलने का कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं है जिसके कारण कर्मियों के सामने भूखमरी की स्थिति है।

अतएव मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि नये एवं पुराने सभी स्किल डेवलपमेंट सेंटर को शुरू कराने के साथ कर्मियों को मानदेय भुगतान एवं किराया मद की राशि का भुगतान कराने की कृपा की जाय ।

उत्तर प्रतिवेदन

कोविड–19 वायरस के संक्रमण से बचाव के निमित्त बिहार सरकर के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के आदेश सं0 294, दिनांक 13 मार्च, 2020 के द्वारा सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्य को दिनांक 13 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक स्थगित किया गया था। इसके पश्चात् कोरोना संक्रमण के प्रभाव के जारी रहने की स्थिति में बिहार सरकार से समय–समय पर प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में प्रशिक्षण कार्य को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लॉक डाउन की अवधि तक स्थगित रखा गया ।

कोडिव–19 वायरस के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु आपदा प्रबंधन समूह की बैठक दिनांक 05 जुलाई, 2021 द्वारा समीक्षोपरांत गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार के आदेश संख्या जी/आपदा–06–02/2020–3646, दिनांक 05 जुलाई, 2021 के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के नियंत्रणाधीन सभी कौशल प्रशिक्षण संस्थानों तथा राज्य के सभी सरकारी एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को दिनांक 07 जुलाई, 2021 से दिनांक 06 अगस्त, 2021 तक के लिए प्रशिक्षुओं की 50 % उपस्थिति एवं कोविड अनुकूल व्यवहार और अद्यतन गानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुपालन के निदेश के साथ खोल दिया गया हैं।

बिहार कौशल विकास मिशन के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को मार्च, 2020 से दिनांक 26 मार्च, 2021 तक मानदेय भुगतान, किराया आदि का भुगतान किया गया है।

बि0 स0 मु0–97 (एल0 ए0)–2021–22–डी0 टी0 पी0–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2022